INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP75877088362798W

e-Stamp

Certificate No.	:	**IN-UP75877088362798W**
Certificate Issued Date	:	11-Jun-2024 11:50 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14136004/ SAHARANPUR SADAR/ UP-SHR
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14136004480942264763S0W
Purchased by	:	BHARTIYA SHIKSHA CHARITABLE TRUST
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	BHARTIYA SHIKSHA CHARITABLE TRUST
Second Party	:	JAI RAM SO SADHU RAM
Stamp Duty Paid By	:	BHARTIYA SHIKSHA CHARITABLE TRUST
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	750 (Seven Hundred And Fifty only)

102 IV / 2024

Sushil Kumar Sharma
Advocate
Reg. No.-UP3370/1992
C.O.P. No.-123038
Roll No. SRE/2020/0191
Old Pakka R.N.-1, Civil Court
Saharanpur-247001
M.-9897630999, 9058790004

Please write or type below this line

Jai Ram.

RD 0024116060

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Sush[illegible]
Advocate
Re[illegible]
C.O.P. No.-123038
Roll No. SRE/2020/0191
Old Pakka R.N.-1, Civil Court
Saharanpur-247001
M.-9897630999, 9058790004

Sushil Kumar Sharma
Advocate
फोटो प्रमाणितकर्ता
Reg. No.-UP3375/1982
C.O.P. No.-123038
Roll No. SRE/2020/0191
Old Pakka R.N.-1, Civil Court
Saharanpur-247001
M.-9897630999, 9058790004

सब रजिस्ट्रार सहारनपुर।

ट्रस्ट–डीड

यह ट्रस्ट डीड आज जून माह की तिथि 11 सन् 2024 को "भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट", गढी मलूक नं0 1 निकट बाजोरिया इण्टर कालेज, सहारनपुर (उ0प्र0) के नाम से घोषित किया गया। इसके संस्थापक जय राम पुत्र श्री साधुराम निवासी 6/4444 गढी मलूक नं0 1 सहारनपुर है। (आधार नम्बर XXXX XXXX 3407) व मोबाईल नम्बर 9058924647)। संस्थापक श्री जय राम पूर्णतया चैरिटेबल कार्यो में आस्था रखने वाले है और सभी वर्गो के व्यक्तियों के हितों के लिए शैक्षिक व कल्याणकारी कार्य कर रहे है।

1. ट्रस्ट का नाम : "भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट"

2. ट्रस्ट के कार्यालय : गढी मलूक नं0 1 निकट बाजोरिया इण्टर कालेज, सहारनपुर (उ0प्र0) (वर्तमान कार्यालय ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है पंजीयन उपरान्त ट्रस्ट स्वयं अथवा किराये के भवन में अपना कार्यालय खोलेगा।)

3. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा।

Jai Ram

4. <u>ट्रस्ट के उद्देश्य</u> :–

1. समाज में राष्ट्रीय एकता, सद्भाव, भाईचारा जैसे गुणों का विकास करना, उनके प्रचार–प्रसार में सहयोग देना।
2. महिलाओं के उत्थान हेतु कार्य करना।
3. महिला सशक्तिकरण एवं बालिका शिक्षा के प्रति आमजन को जागरूक करना।
4. गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की मदद करने का प्रयास करना।
5. सभी वर्ग की महिलाओं को हर सम्भव मदद करने का प्रयास करना।
6. सभी वर्ग की महिलाओं को सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं से अवगत कराने का प्रयास करना।
7. बालक/बालिकाओं में खेल के प्रति उत्साह पैदा करना।
8. सभी वर्ग के बच्चों को तकनीकी व गैर तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराना।
9. सभी वर्गो के बच्चों की शिक्षा हेतु सभी विषयों में प्राईमरी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक, हिन्दी, इंग्लिश मीडियम के शैक्षिक संस्थाओं स्कूल, कालेज, की स्थापना करना तथा उनका प्रबन्ध संचालन करना तथा टैक्नीकल, नॉन टैक्नीकल शिक्षा हेतु संस्थाओं की स्थापना करना जिसके लिये बच्चों से व्यवस्था शुल्क लेगे व अध्यापकों को मानदेय देगे।
10. राष्ट्रीय प्रदेशीय, मण्डलीय जिला ब्लॉक ग्राम स्तर पर ट्रस्ट की इकाई खोलना व इसी प्रकार महिला विंग खोलना व उनका प्रबन्ध संचालन करना।
11. युवक युवतियों के लिये कम्प्यूटर शिक्षा का प्रबन्ध कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जानकारी एवं प्रशिक्षण उपलब्ध करना।
12. सभी वर्ग की महिलाओं एवं छात्र/छात्राओं को ब्यूटीशन, सिलाई, कढ़ाई, पेन्टिंग, दस्तकारी, कम्पयूटर हस्तकला एवं विज्ञान कला, दस्तकारी कला, रेडीमेड गारमेन्ट्स आदि का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना तथा तत्सम्बन्धी परीक्षा लेना व उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को नियमानुसार प्रमाण पत्र जारी करना।

Jai Prai

आवेदन सं०: 202400702030022

न्यास पत्र

बही स०: 4	रजिस्ट्रेशन स०: 102	वर्ष: 2024

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 580

श्री जय राम ,
पुत्र श्री साधुराम
व्यवसाय : अन्य
निवासी: 6/4444 गढी मलूक नं0 1 सहारनपुर।

Jai Ram.

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 12/06/2024 एवं 02:39:21 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शम्भू लाल (प्रभारी)
उप निबंधक :सदर द्वितीय
सहारनपुर
12/06/2024

निबंधक लिपिक
12/06/2024

प्रिंट करें

13. सभी वर्गो के बच्चों के तार्किक एवं बौद्धिक विकास हेतु पुस्तिकाओं व पत्रिकाओं का प्रकाशन करना व उनका निःशुल्क प्रसारण करना।

14. सभी वर्ग के बच्चों के लिये कम्पयूटर शिक्षा हेतु नियमानुसार कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों की नियमानुसार स्थापना कर संचालन करना।

15. सभी वर्ग के बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा के अन्तर्गत सॉफटवेयर कोर्सो व हार्डवेयर कोर्सो की नियमानुसार शिक्षा प्रदान करना।

16. निराश्रित एंव उपेक्षित वृद्धों, निर्धनों, विकलांगों एवं अनाथ बच्चों के लिए निःशुल्क चिकित्सा आदि की व्यवस्था करना एंव उन्हें स्वावलम्बी बनाने का प्रयास करना।

17. एड्स जैसे भयानक रोगों से बचाव की पूरी जानकारी देना एंव एड्स रोगी को समाज में घृणा से बचाने का प्रयास करना व कुष्ठ, पोलियों, कैंसर, टी0बी0, मलेरिया, जनसंख्या वृद्धि आदि के बारे में आवश्यक जानकारी का प्रचार–प्रसार कर इनके नियंत्रण का प्रयास करना व परिवार नियोजन की जानकारी उपलब्ध कराना।

18. जन साधारण को स्वावलम्बी बनाने के लिए स्वंय सहायता समूहों का गठन करना एंव उनके संचालन में सहयोग प्रदान करना।

19. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में लोगों को जागरूक कर शिक्षित भारत के स्वप्न को साकार करने में सहयोग करना।

20. स्वस्थ तन, मन एंव बौद्धिक विकास के लिए क्रीडा स्थल, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, वाचनालय एवं स्थापना कर छात्र/छात्राओं का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, शैक्षिक, चारित्रिक विकास कर उन्हें सभ्य बनाना।

21. ग्रामीण क्षेत्रों में महिला निरक्षरता को देखते हुए कन्याओं हेतु प्राचीन भारतीय शिक्षा के आदर्शो पर आधारित शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना।

22. देश प्रदेश की समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं से व ट्रस्टों से सम्पर्क व सहयोग प्राप्त कर समाज विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना।

Jai Ram.

आवेदन सं०: 202400702030022

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 102 वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री जय राम, पुत्र श्री साधुराम

निवासी: 6/4444 गढी मलूक नं0 1 सहारनपुर।

व्यवसाय: अन्य Jai Ram.

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री मनोज कुमार, पुत्र श्री राजन

निवासी: बेहट रोड रविदास मन्दिर सरकडी खुमार, सहारनपुर।

व्यवसाय: अन्य मनोज कुमार

पहचानकर्ता : 2

श्री संजय कुमार, पुत्र श्री सुखबीर सिंह

निवासी: अकबरपुर कलसा हल्लोमाजरा हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

व्यवसाय: अन्य संजय कुमार

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शम्भू लाल (प्रभारी)

उप निबंधक : सदर द्वितीय

सहारनपुर

12/06/2024

निबंधक लिपिक सहारनपुर

12/06/2024

प्रिंट करें

23. जनता के आर्थिक विकास के लिये भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार करना।

24. निर्धन परिवार की लड़कियों की शादी में आर्थिक सहायता दिलाने का प्रयास करना।

25. जन साधारण का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक व शैक्षिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक विकास में सहयोग करना तथा वृद्धावस्था आश्रम खोलना।

26. प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करना।

27. पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल करने वाले पत्रकारों को प्रेरित करने हेतु सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें सम्मानित किया जाना।

28. एडस्, कैंसर, टी0बी0, हैपेटाईटिस, मधुमेह, डेगूं, चिकनगुनिया आदि जानलेवा बीमारियों की पहचान व रोकथाम हेतु जागरूकता शिविरों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना तथा इस बीमारी की मुक्ति हेतु सरकार का सहयोग करना।

29. पर्यावरण सरंक्षण, नशामुक्ति, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य कल्याण, वृक्षारोपण, प्रदूषण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, कृष्ठ उन्मूलन, नशा उन्मूलन, सामाजिक वानिकी, दहेज उन्मूलन, हरियाली कार्यक्रम, ऊसर बंजर भूमि सुधार बागवानी विकास, वैकल्पिक ऊर्जा विकास, जैविक उर्वरक, पशु पक्षी सरंक्षण, गौ सरंक्षण भूमि एवं जल प्रबन्धन आदि कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।

30. ब्लड डोनेशन करना तथा व्यक्तियों को मृत्योपरान्त नेत्र दान व अंग दान के लिए प्रेरित करना।

31. जवानों को मृत्योपरान्त ट्रस्ट की ओर से अधिक से अधिक सहायता देना तथा किसानों को फसल क्षति की दशा में आर्थिक सहायता देना।

Jai Pra.

32. समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम विचार गोष्ठी सेमिनार, सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिता जागरूकता शिविर, स्वास्थ्य शिविर, सामाजिक जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन व उनका प्रचार प्रसार करना।

33. देवी आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, भूकम्प, अग्निकांड के समय लोगों की हर सम्भव सहायता करना।

34. महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु शहरी एवं ग्राम्य क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों एंव मलिन बस्तियों में स्वच्छता, साक्षरता, मातृ–शिशु पोषण, बाल टीकाकरण कार्यक्रमों आदि को चलवाना व उनके कल्याण हेतु सरकार की योजनाओं की उनको जानकारी देना।

35. गौशालाओं का नियमानुसार निर्माण करना व उनका प्रबन्ध संचालन करना।

36. सभी वर्ग के बच्चों को सभी प्रकार के व्यवसायिक कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, बी0बी0ए0, एम0बी0ए0, पी0जी0डी0एम0, बी0एड0, एम0एड0, बी0सी0ए0, एम0सी0ए0, डी0एल0एड0, एम0बी0बी0एस0, एम0डी0, एम0एस0 व अन्य व्यवसायिक कोर्सो की प्राईमरी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा उपलब्ध कराना।

37. सभी विभागों से सरकारी सहायता प्राप्त करना, गैर सरकारी संगठनों से सहायता प्राप्त करना, विधायक निधि व सांसद निधि से सहायता प्राप्त करना।

38. सभी व्यक्तियों व बच्चों को योगा सिखाना।

39. सभी सरकारी विभागों, राजकीय व भारत सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत कार्य करना।

40. स्वच्छ अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करना।

41. सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं से लोगों को अवगत कराकर उनका लाभ दिलाने का प्रयास करना तथा ट्रस्ट अपनी ओर से ट्रस्ट से सम्बन्धित विधवाओं को ट्रस्ट बोर्ड के नियमानुसार पेंशन प्रदान करना।

42. अन्य वह कार्य करना जो समय व परिस्थितियों के अनुसार उचित हो।

Jai Pm.

5. ट्रस्टीज के नाम व पते :–

वर्तमान में ट्रस्ट की ट्रस्टीज की कुल संख्या 5 होगी तथा इसके अतिरिक्त इसमें मीडिया प्रभारी, आई0टी0सैल, कानूनी सलाहकार व अन्य पदों का सृजन किया जा सकता है। कुल संख्या 5 में एक संस्थापक अध्यक्ष, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष व दो ट्रस्टी होंगे। ये सभी जीवन पर्यन्त तक अपने पदों पर बने रहेगें संस्थापक अध्यक्ष को असीमित ट्रस्टी निश्चित अवधि हेतु चुनने का अधिकार होगा तथा संरक्षक ट्रस्टी भी बना सकते है। यदि कोई आजीवन ट्रस्टी ट्रस्ट के विरूद्ध कार्य या अन्य चूक करता है तो उसको नियमानुसार हटाया जा सकता है। सभी ट्रस्ट के पदाधिकारियों व कर्मचारियों को मानदेय दिया जायेगा। ट्रस्ट से जुडे व्यक्तियों की अकाल मृत्यु की दशा में ट्रस्ट से जुडे व्यक्तियों द्वारा अपनी इच्छानुसार आर्थिक सहायता कम से कम 1 रू0 के रूप में अवश्य दी जायेगी। यह सभी के लिए लागू रहेगा।

क्र0सं0	नाम/पिता का नाम व पता	पद	व्यवसाय
1	जय राम पुत्र श्री साधुराम निवासी 6/4444 गढी मलूक नं0 1 सहारनपुर।	संस्थापक अध्यक्ष/ आजीवन ट्रस्टी	व्यापार
2	महिपाल सिंह पुत्र श्री फिरोजीलाल निवासी नजदीक कोतवाली देहात, शंकर पुरी, अग्रसैन वाटिका, सहारनपुर।	सचिव/ आजीवन ट्रस्टी	कृषि
3.	सुनीता देवी पत्नी जय राम निवासी 6/4444 गढी मलूक नं0 1 सहारनपुर।	कोषाध्यक्ष/ आजीवन ट्रस्टी	गृहणी
4.	सचिन कुमार पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम मरोडगढ कातला पोस्ट चिलकाना, कातला, सहारनपुर।	संगठनमंत्री/ आजीवन ट्रस्टी	प्रा0 नौकरी
5.	मांगेराम पुत्र राजकुमार निवासी कमालपुर आहत, सहारनपुर।	प्रचारमंत्री/ आजीवन ट्रस्टी	कृषि

Jai Ram.

ट्रस्ट की नियमावली

1. ट्रस्ट का नाम	:	"भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट"
2. ट्रस्ट के कार्यालय का पता	:	गढी मलूक नं0 1 निकट बाजोरिया इण्टर कालेज, सहारनपुर (उ0प्र0) (वर्तमान कार्यालय ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है पंजीयन उपरान्त ट्रस्ट का कार्यालय किराये के भवन अथवा स्वयं अर्जित सम्पत्ति में खोला जायेगा)
3. सदस्यता	:	1. आजीवन ट्रस्टी – जो ट्रस्टी ट्रस्ट को रू० 1001/– देगा व ट्रस्ट का आजीवन ट्रस्टी होगा। 2. साधारण सदस्यः– जो ट्रस्टी ट्रस्ट को रू० 101/– वार्षिक देगा वह ट्रस्ट का साधारण ट्रस्टी होगा।
3. ट्रस्टीज की ट्रस्टीशिप की समाप्ति	:	ट्रस्ट के ट्रस्टीज की ट्रस्टीशिप की समाप्ति निम्नलिखित दशा में होगी :– 1. मृत्यु होने पर। 2. दिवालिया हो जाने पर। 3. पागल हो जाने पर। 4. किसी न्यायालय द्वारा कठोर कारावास से दण्डित किये जाने पर। 5. आवश्यक सदस्यता शुल्क न देने पर। 6. स्वंय त्याग पत्र देने पर। 7. ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर।

Jai Ram

4. वित्तिय वर्ष : ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होगा।

7. ट्रस्ट के अंग : (अ) ट्रस्ट बोर्ड।

(ब) ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी।

(अ) ट्रस्ट बोर्ड : ट्रस्ट का एक ट्रस्ट बोर्ड होगा जिसमें सभी प्रकार के ट्रस्टीज शामिल रहेगें। वर्तमान में ट्रस्ट बोर्ड की संख्या 5 है जिसकी संख्या कभी भी संस्थापक अध्यक्ष द्वारा असीमित रूप में बढ़ायी जा सकती है। ट्रस्ट बोर्ड का चुनाव वार्षिक होगा। जिसकी सूचना 10 दिन पूर्व डाक व वर्तमान मीडिया से दी जायेगी।

<u>ट्रस्ट के बोर्ड के अधिकार एंव कर्त्तव्यः–</u>

1. आय–व्यय का वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करना।
2. किसी ट्रस्टी की मृत्यु हो जाने पर व अन्य ट्रस्टी की रिक्ती के स्थान पर नियुक्ति का अधिकार जिसमें संस्थापक अध्यक्ष की सहमति आवश्यक होगी।
3. ट्रस्ट की उन्नति के लिए राज्य सरकार भारत सरकार आदि से दान–अनुदान प्राप्त करना तथा विधायक निधि, सासंद निधि व अन्य वित्तीय संस्थाओं से दान अनुदान आदि प्राप्त करना। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट समाज सेवी संस्थाओं से भी सहायता प्राप्त कर सकता है तथा अपनी उन्नति हेतु

सरकारी व गैर सरकारी बैंको से ऋण प्राप्त कर सकता है तथा इस कार्य के लिए अपनी चल अचल सम्पत्ति बंधक कर सकता है।

4. ट्रस्ट के उद्देश्यो के विपरीत कार्य करने पर किसी भी ट्रस्टी के विरूद्ध कार्यवाही करना यदि आवश्यक हो तो उसे हटाना। किसी भी ट्रस्टी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, परन्तु इस कार्य में संस्थापक अध्यक्ष की अनुमति आवंश्यक होगी।
5. ट्रस्ट की उन्नति हेतु समयानुसार ट्रस्ट के नियमों में 2/3 बहुमत से संशोधन करना।
6. अन्य वह कार्य करना जो समयानुसार ट्रस्ट के विकास हेतु आवश्यक हो।

ट्रस्ट बोर्ड की मीटिंग : ट्रस्ट बोर्ड की मीटिंग वर्ष में केवल एक बार होगी। आवश्यता के अनुसार विशेष मीटिंग कभी भी बुलायी जा सकती है। जिसकी सूचना 10 दिन पूर्व पंजीकृत डाक, समाचार पत्र या व्यक्तिगत रूप या मार्डन मीडिया से दी जायेगी तथा विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व व्यक्तिगत रूप या वर्तमान मीडिया से दी जायेगी।

(ब) प्रबन्धकारिणी : प्रबन्धकारिणी का गठन यदि आवश्यक होगा तो ट्रस्ट के ट्रस्ट बोर्ड द्वारा किया जायेगा। जिसमें एक अध्यक्ष, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष तथा दो ट्रस्टी होगे। प्रबन्धकारिणी की वर्ष में 3 बैठकें होगी। विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। सामान्य बैठक के लिए 8 दिन पूर्व सूचना पंजीकृत डाक और समाचार पत्र तथा विशेष बैठक के लिए 2 दिन पूर्व व्यक्तिगत रूप या वर्तमान मीडिया से सूचना दी जायेगी।

ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी के अधिकार एंव कर्त्तव्य :

1. ट्रस्ट का प्रबन्ध संचालन ट्रस्ट बोर्ड के निर्देशानुसार करना।
2. ट्रस्ट के लाभ के लिए चल व अचल सम्पत्ति का क्रय–विक्रय ट्रस्ट बोर्ड के निर्देशानुसार करना।
3. वार्षिक बजट पास कराने हेतु ट्रस्ट की बैठक के सम्मुख प्रस्तुत करना तथा आगामी बजट का ब्यौरा प्रस्तुत करना।
4. अन्य वह कार्य करना जो ट्रस्ट के हितार्थ समयानुसार ट्रस्ट बोर्ड के निर्देशानुसार आवश्यक हो।

ट्रस्ट बोर्ड के पदाधिकारियों के अधिकार एंव कर्त्तव्य :

(1) संस्थापक अध्यक्षः–

1. ट्रस्ट की सभी प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना।
2. ट्रस्ट की प्रत्येक मीटिंग हेतु नोटिस स्वयं जारी करना तथा सचिव को निर्देशित करना।

Jai Ram.

3. आवश्यक खर्च हेतु पन्द्रह हजार रूपये की धनराशि अपने पास रखना।
4. ट्रस्ट के प्रबन्ध संचालन हेतु सचिव को आवश्यक निर्देश देना।
5. ट्रस्टी को बनाने के लिए ट्रस्टशिप रसीद जारी करना।
6. ट्रस्ट के सभी न्यायिक कार्यो में स्वयं अपने आप या अपने प्रतिनिधि से पैरवी करना या सचिव को निर्देशित करना।
7. ट्रस्ट की ओर से चल अचल सम्पत्ति क्रय व विक्रय करना।
8. आय–व्यय के वाउचरों पर अपने हस्ताक्षर करना।
9. सभी प्रकार की सरकारी व गैर सरकारी दान अनुदान आदि प्राप्त करना तथा चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त करना।
10. अन्य वह कार्य करना जो समयानुसार ट्रस्ट की उन्नति के लिए आवश्यक हो।
11. क्योंकि ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र समस्त भारतवर्ष है इसलिए संस्थापक अध्यक्ष अपने आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष लिख सकता है।

(2) सचिवः–

1. ट्रस्ट का प्रबन्ध संचालन संस्थापक अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार करना।

Jai Pu.

2. प्रत्येक वर्ष में अनिवार्य रूप से होने वाली बैठकों में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना।
3. सभी प्रकार की बैठकों में भाग लेना तथा बैठकों की कार्यवाही लिखना।
4. आवश्यक खर्च हेतु दस हजार रूपये की धनराशि अपने पास रखना।
5. सचिव के समस्त कार्य संस्थापक अध्यक्ष के निर्देशानुसार होगे।

(3) कोषाध्यक्षः—

ट्रस्ट के कोष का आय—व्यय का ब्यौरा अपने पास रखना तथा कैशबुक लिखना, आय—व्यय के वाऊचर्स को अपने पास सुरक्षित रखना।

(4) संगठनमंत्रीः—

ट्रस्ट के पदाधिकारियों के मध्य एकता की भावना कामय करना।

(5) प्रचारमंत्रीः—

ट्रस्ट के सम्बन्ध में सूचनाओं का प्रचार प्रसार करना।

कोरम : ट्रस्ट के कुल ट्रस्टीज का 2/3 होगा।

संशोधन : कुल ट्रस्टीज की संख्या के 2/3 उपस्थिति से ट्रस्ट के नियमों में संशोधन किया जा सकेगा।

कानूनी कार्यवाही : ट्रस्ट की ओर से व ट्रस्ट के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही, संस्थापक अध्यक्ष द्वारा अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

धनप्राप्ति	:	ट्रस्ट अपनी तरक्की हेतु सरकारी गैर सरकारी धन प्राप्त कर सकता है तथा स्वंय सेवी संस्थाओ से सहायता प्राप्त कर सकता है तथा ये सभी कार्य संस्थापक अध्यक्ष के माध्यम से होगें ट्रस्ट किसी भी व्यक्ति से चल व अचल सम्पत्ति दान में प्राप्त कर सकता है।
ट्रस्ट का कोष	:	ट्रस्ट का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, डाकघर, प्रा०लि० बैक में रहेगा तथा ट्रस्ट के नाम से खाता खोला जायेगा और खाते का संचालन संस्थापक अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा किया जायेगा।
अभिलेख	:	कार्यवाही रजिस्टर, एजेन्डां रजिस्टर, ट्रस्टीशिप रजिस्टर, कैश बुक, रसीद बुक, व अन्य आवश्यक कागजात।
ट्रस्ट का विघटन	:	ट्रस्ट का विघटन विशेष परिस्थितियों में ट्रस्ट बोर्ड के निर्णय पर भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार होगा।
ट्रस्ट की सम्पत्ति	:	ट्रस्ट कें पंजीयन हेतु वर्तमान में रू0 10,000/– (दस हजार) की चल धनराशि उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट के पास कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है तथा यह प्रथम ट्रस्ट है। जिसके आधार पर स्टाम्प शुल्क नियमानुसार अदा किया जा रहा है।

Jai Ram.

भारत सरकार
Government of India

जय राम
Jai Ram
जन्म तिथि/DOB: 09/11/1979
पुरुष/ MALE

Issue Date: 14/07/2014

5103 7623 3407
VID : 9171 4469 0666 8989

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
द्वारा साधु राम, ६/४४४४, गढ़ी मलूक न० १, सहारनपुर,
सहारनपुर,
उत्तर प्रदेश - 247001

Address:
C/O Sadhu Ram, 6/4444, Gadhi Malook No 1,
Saharanpur, Saharanpur,
Uttar Pradesh - 247001

5103 7623 3407
VID : 9171 4469 0666 8989

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

Jai Ram.

भारत सरकार

Government of India

आधार

Issue Date: 20/07/2014

मनोज कुमार

Manoj Kumar

जन्म तिथि/DOB: 01/07/1989

पुरुष/ MALE

3938 2481 2292

VID : 9183 0790 8423 4045

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

Unique Identification Authority of India

AADHAAR

Download Date: 15/09/2023

पता:
S/O: राजन, बेहत रोड, रवि दास मंदिर, सरकडी खुमार,
सहारनपुर, सहारनपुर,
उत्तर प्रदेश - 247001

Address:
S/O: Rajan, behat road, ravi das mandir,
Sarkdi khumar, Saharanpur, Saharanpur,
Uttar Pradesh - 247001

3938 2481 2292

VID : 9183 0790 8423 4045

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

मनोज कुमार

भारत सरकार
Government of India

आधार

Aadhaar no. issued: 20/01/2014

संजय कुमार
Sanjay Kumar
जन्म तिथि/DOB: 06/05/2002
पुरुष/ MALE

आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं ।
इसका उपयोग सत्यापन (ऑनलाइन प्रमाणीकरण, या क्यूआर कोड/ ऑफ़लाइन एक्सएमएल की स्कैनिंग) के साथ किया जाना चाहिए ।
Aadhaar is proof of identity, not of citizenship or date of birth. It should be used with verification (online authentication, or scanning of QR code / offline XML).

7853 2063 1091

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

AADHAAR

Details as on: 11/12/2023

पता:
स/ो सुखबीर सिंह, अकबरपुर कलसों, हल्लोमाजरा,
हरिद्वार,
उत्तराखंड - 247661

Address:
S/O Sukhbeer Singh, Akabarpur Kalson, PO: Hallumajra, DIST: Haridwar,
Uttarakhand - 247661

7853 2063 1091

VID : 9121 9712 9350 0208

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

संजय कुमार

उपरोक्त "भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट", गढी मलूक नं0 1 निकट बाजोरिया इण्टर कालेज, सहारनपुर (उ0प्र0) के दस्तावेज के सभी नियमों व उपनियमों को हम सभी ने सोच समझकर स्वस्थचित से ट्रस्ट अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है। जिसकी तसदीक आज **12.06.2024** को निम्न साक्षीगण की उपस्थिति में की गयी तथा ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन हेतु पूर्ण बहुमत से संस्थापक अध्यक्ष **श्री जय राम** को अधिकृत किया गया।

Jai Ram.

हस्ताक्षर

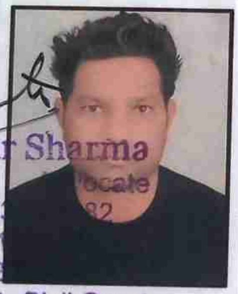

Sushil Kumar Sharma
Advocate
Reg. No.-UP3375/1982
C.O.P. No.-123038
Roll No. SRE/2020/0191
Old Pakka R.N.-1, Civil Court
Saharanpur-247001
M.-9897630999, 9058790004

मनोज कुमार

मनोज कुमार पुत्र राजन
निवासी बेहट रोड रविदास मन्दिर
सरकडी खुमार, सहारनपुर।
आधार नं0– 3938 2481 2292
मो0– 9528098451

Sushil Kumar Sharma
Advocate
Reg. No.-UP3375/1982
C.O.P. No.-123038
Roll No. SRE/2020/0191
Old Pakka R.N.-1, Civil Court
Saharanpur-247001
M.-9897630999, 9058790004

गवाह नं0 1

संजय कुमार

संजय कुमार पुत्र सुखबीर सिंह
निवासी अकबरपुर कलसा हल्लोमाजरा
हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
आधार नं0– 7853 2063 1091
मो0– 9528860739

लेखतिथि– 12-6-2024
रचियता–
टाईपकर्ता– Rakesh Saini

Sushil Kumar Sharma
Advocate
Reg. No.-UP3375/1982
C.O.P. No.-123038
Roll No. SRE/2020/0191
Old Pakka R.N.-1, Civil Court
Saharanpur-247001
M.-9897630999, 9058790004

आवेदन सं०: 202400702030022

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 241 के पृष्ठ 271 से 300 तक
क्रमांक 102 पर दिनाँक 12/06/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शम्भू लाल (प्रभारी)
उप निबंधक : सदर द्वितीय
सहारनपुर
12/06/2024

उप निबन्धक (द्वितीय) सहारनपुर सदर ★ उत्तर प्रदेश ★